आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–एफ 23(46)लेखा/आकाशि/विविध/छात्रवृति/2021–22/955 दिनांक–30.12.2021

परिपत्र

बजट घोषणा वर्ष 2021–22 के बिन्दु सं.–249 की क्रियान्विती हेतु इस विभाग द्वारा संचालित देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) संबंल योजना एवं मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजनाओं में कार्य प्रक्रिया के अधीन स्वीकृतियों एवं भुगतान प्रक्रिया में जटिलता का सरलीकरण एवं ऑनलाइन करते हुए जन आधार पोर्टल से प्रार्थी की जन आधार प्रोफाइल से मेटा डेटा आधारित ऑनलाइन प्रमाणीकरण डाटा का उपयोग किया जावेगा। वर्ष 2021–22 में निम्न योजनाओं में ऑनलाईन आवेदन के साथ मात्र निम्न दस्तावेजों को अपलोड किया जाना अनिवार्य है:–

[I] मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना एवं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनाओं हेतु आवश्यक दस्तावेज:

(i) आय प्रमाण पत्र (छः माह से पुराना न हो) –आय के प्रमाणीकरण हेतु

(ii) प्रवेश शुल्क की रसीद (नियमित अध्ययन के प्रमाणीकरण हेतु)

(iii) अंक तालिका (न्यूनतम प्राप्तांक से उतीर्ण के प्रमाण हेतु)

[II] विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) संबंल योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज:

(i) आवेदन के साथ विधवा प्रशिक्षणार्थी होने की स्थिति में पति का प्रमाण पत्र (स्व –प्रमाणित प्रति) एवं परित्यक्ता छात्राध्यापिका की स्थिति में सक्षम न्यायालय/काजी द्वारा जारी तलाकनामे की प्रमाणित प्रति/डिक्री आवश्यक रूप से संलग्न की जावे/समझौता आधार पर दिये गये तलाक मान्य नहीं होगें/सक्षम काजी के द्वारा दिये गये तलाकनामें के साथ समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के स्टाम्प पर निर्धारित नोटेरी द्वारा प्रमाणित तलाक को प्रमाणित करने के प्रमाण–पत्र संलग्न किया जावे

(ii) प्रवेश शुल्क की रसीद (नियमित अध्ययन के प्रमाणीकरण हेतु)

(iii) अंक तालिका (न्यूनतक प्राप्तांक से उतीर्ण के प्रमाण हेतु)

उक्त प्रावधान सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–एफ 23(46)लेखा/आकाशि/विविध/छात्रवृति/2021–22/956-962 दिनांक– 30.12.2021

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
3. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
4. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर
5. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जी–3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पीछे, राजस्थान, जयपुर
6. समस्त रजिस्ट्रार/प्राचार्य, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय, राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान
7. प्रभारी, वेबसाइट को अपलोड हेतु।

लेखाधिकारी
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर